राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40 (72)ग्रावि/नरेगा/गोदाम/2015 जयपुर, दिनांकः - 2 SEP 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र के भवन निर्माण कार्य बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जयपुर में आयोजित जिला कलक्टर कान्फ्रेन्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की कार्यशाला के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र के भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जरिये प्रस्तुतीकरण (पी.पी.टी.) विस्तृत चर्चा की गई थी तथा सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण की प्रति ई–मेल द्वारा आपको प्रेषित भी की गई थी। कृपया उक्त परियोजना कार्यों के क्रियान्व्यन हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही कराने का श्रम करावें :–

1. उक्त कार्यों को नियमानुसार वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कराये जाने की कार्यवाही करावें।
2. जिला स्तर पर राजस्व, सहकारिता एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा एवं विचार–विमर्श पश्चात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र के भवन निर्माण हेतु यथा सम्भव कम से कम एक एकड़ जमीन का चिन्हीकरण किया जावे। यदि एक एकड़ भूमि एक साथ उपलब्ध नहीं है तो गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र के नजदीक एवं अन्य विकास कार्य के लिए अन्य स्थान पर दो भागो में भूमि चिन्हित की जा सकती है। उक्त भूमि के चयन के समय ग्राम पंचायत में स्थित अटल सेवा केन्द्र या ग्राम पंचायत भवन के पास उपलब्ध भूमि को प्राथमिकता दी जावे। तद्नुसार भण्डारण केन्द्र हेतु भूमि चिन्हीकरण कर आवंटन की कार्यवाही की जावे।
3. इन गोदाम कार्यों हेतु जिला स्तरीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने के सम्बन्ध में सम्भावना तलाशी जावे, ताकि श्रम सामग्री अनुपात का संधारण जिला स्तर पर हो सके।
4. संलग्न प्रपत्र में भूमि की उपलब्धता से सम्बन्धित सूचना संकलित कर इस कार्यालय को दिनांक 15.09.2015 तक जरिये ई–मेल (E-mail: pdre_rdd@yahoo.com) भिजवाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

1/9/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रपत्र

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनाज भण्डारण हेतु गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायतों में उपलब्ध जमीन का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	उपलब्ध राजकीय भूमि का विवरण			विशेष विववरण
		भूमि का प्रकार (सिवायचक/चारागाह/ग्राम पंचायत भूमि/अन्य राजकीय भूमि)	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)		
			गोदाम/खाद्यान्न भण्डार केन्द्र हेतु	भूमि विकास हेतु	
1	2	3	5	5	7
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					